ई–मेल द्वारा/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

संख्या: 101 / चारा / ।।/एफ(423) / रा0यो0 / 2023–24, दिनांक: 26/10/2023

विषय:– **रबी वर्ष–2023–24 में "अतिरिक्त चारा विकास कार्यकम" (रा0यो0) संचालित कराये जाने हेतु दिशा निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनु0 सं0–15 के अधीन राज्य योजनान्तर्गत **"अतिरिक्त चारा विकास कार्यकम"** (Additional Fodder Development Programme-AFDP) संचालित कराये जाने हेतु धनराशि का आवंटन, पत्र स0–1621 / बजट / 29(5) / अनु0–15 / 40 / 2023–24 दिनांक 20.10.2023 द्वारा किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग नियमानुसार वर्तमान रबी–2023 में करते हुए चारा फसल हेतु निम्न दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जाए:–

1– योजना के वृहद प्रचार–प्रसार हेतु सूचना प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, साथ ही विज्ञप्ति की प्रतियां जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड, मण्डी परिषद, सहकारी समितियों के सूचना पटों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से चस्पा कराया जाय।

2– योजनान्तर्गत लघु/सीमांत कृषकों/पशुपालकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। न्यूनतम 0.1 हे0 एवं अधिकतम 0.5 हे0 भूमि पर चारा उत्पादन हेतु इच्छुक लाभार्थियो का चयन किया जाय।

3– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों, महिला लाभार्थियों, पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को चयन में वरीयता दी जाय।

4– **लाभार्थियों के चयन का मापदण्ड–**
(क) लाभार्थी कम से कम 02 दुधारू पशु पालता हों तथा चारा उत्पादन हेतु इच्छुक हो।
(ख) लाभार्थी के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो अथवा चारा फसल की सिंचाई आसानी से की जा सके।
(ग) लाभार्थी के पास स्वयं की जोत हो, जिसका सत्यापन खसरा/खतौनी से कर लिया जाय।
(घ) पूर्व में लाभान्वित किये गये लाभार्थियों को पुनः लाभान्वित नही किया जायेगा।

5– **लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा–**

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	–	अध्यक्ष
सम्बन्धित उपमुख्यपशुचिकित्साधिकारी	–	सदस्य/सचिव
सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी	–	सदस्य
जिला कृषि अधिकारी/नामित सदस्य	–	सदस्य
प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक पी.सी.डी.एफ. अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	–	सदस्य

6– लाभार्थियों का चयन करते समय यह प्रयास किया जाये कि जिस प्लाट में चारा फसल बोयी जानी है, वह सडक/चकरोड के आस–पास हो अर्थात् जहॉ पर वह सरलता से प्रदर्शित हो तथा अधिक से अधिक कृषक/पशुपालक अवलोकन कर सके।

7– जनपदवार चारा उत्पादन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल, बीज की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट–1** में दर्शायी गयी है।

8– **परिशिष्ट–1** में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर के आधार पर दर्शायी गई है। अतः यदि जनपद में ऐसे भी लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जो 0.1 हे0 से 0.5 हे0 तक चारा उत्पादन करने में सक्षम हो तो जनपद में लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट–1** में दर्शाये गये लाभार्थियों की संख्या से कम हो जायेगी, लेकिन जनपद में चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में कोई कमी नही होगी अर्थात् जनपद में चारा उत्पादन हेतु **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया क्षेत्रफल यथावत् रहेगा।

9– **43–सामग्री एवं सम्पूर्ति** मद में आवंटित धनराशि का उपयोग चारा बीज क्रय पर किया जायेगा। प्रमाणित **बरसीम चारा बीज (बी0एल0–10/बी0एल–42)** का क्रय, राष्ट्रीय बीज निगम लि0 (एन0एस0सी0एल0) ,लखनऊ(**ईमेल–*rm.lucknow@indiaseeds.com/nsclucknowmarketing@gmail.com*(मो0नं0–9375288284)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी दर (रू0 24500.00 प्रति कु0 एफ0ओ0आर0 समस्त जनपद मुख्यालय) से नियमानुसार

कर पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति लाभार्थी को 0.1 हे0 क्षेत्रफल में बुवाई हेतु 2.5 किग्रा0 प्रमाणित बरसीम चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार 0.1 हे0 से अधिक 0.5 हे0 क्षेत्रफल तक बुवाई हेतु उक्त इकाई मानक के गुणक में चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा। चारा उत्पादन हेतु बीज के अतिरिक्त खेत की तैयारी, बुवाई, सिंचाई एवं कटाई आदि पर होने वाला व्यय लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा।

10— योजनान्तर्गत प्रदर्शन स्थल पर साधारण कार्ड—बोर्ड पर लाभार्थी का पूर्ण विवरण अंकित कर लाभार्थी के साथ चारा फसल में प्रदर्शित करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जाय। फोटोग्राफी कराने के बाद उसकी एक प्रति पशुपालन निदेशालय के चारा अनुभाग को उपलब्ध करायी जाए।

11— सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी/उपमुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित चारा बीज मिनीकिटों का पूर्ण लेखा—जोखा (रिकार्ड) संलग्न **प्रारूप—1** पर अपने कार्यालय पर रखा जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

12— योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों का होगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अपने अधीनस्थ उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी तथा कार्यरत चारा निरीक्षकों के सक्रिय सहयोग से सम्पादित कराया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में आवश्यकता पड़ने पर जिला कृषि अधिकारी/सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त करेगें।

13— उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्तिसाधिकारियों द्वारा संमय—2 पर लाभार्थियों द्वारा बोयी गयी चारा फसलों का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी भी स्तर पर योजना के कियान्वयन में शिथिलता पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का होगा।

14— योजना के कार्यो की पूर्णता पर **प्रारूप—1**, **प्रारूप—2** एवं **प्रारूप—3** पर **लाभार्थियों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र** एवं योजना का **Impact assessment (फीड बैक)** चारा अनुभाग, पशुपालन निदेशालय को हार्ड एवं साफ्ट कापी में ई—मेल **fdoup522@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/अपर निदेशक, ग्रेड—2 का होगा।

15— योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग **वर्तमान रबी फसल—2023** में ही किया जाना है। योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/अपर निदेशक, ग्रेड—2 का होगा। अवशेष धनराशि के समर्पण की सूचना दिनांक **30.11.2023** तक प्रत्येक दशा में ईमेल **fdoup522@gmail.com** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16— योजना को निर्बाध गति एवं सफल संचालन हेतु निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय—समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा।

17— योजनान्तर्गत कृषि निवेशों का वितरण एवं फील्ड डे, यथासम्भव स्थानीय जन—प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान/ब्लाक प्रमुख/मा0 विधायक एवं सांसद आदि) की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ करायी जाय, जिसकी फोटोग्राफी भी अनिवार्य रूप से करायी जाये।

18— **विस्तृत कार्य योजना** एवं **गाईड—लाइन** विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 अरूण कुमार जादौन)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्याः /चारा/ ।।।एफ(423)/रा0यो0/2023—24, दिनांकः

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर मुख्य सचिव, पशुधन, उ0प्र0शासन।
2— वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
3— समस्त अपर निदेशक ग्रेड—2, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश।
4— विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 अरूण कुमार जादौन)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

परिशिष्ट–1

क0सं0	जनपद का नाम	निर्धारित क्षेत्रफल (हे0 में)	लाभार्थियों की अधिकतम सं0	प्रमाणित बरसीम बीज की मात्रा (कु0 में)
1	मेरठ	45.60	456	11.41
2	बागपत	36	360	9.00
3	बुलन्दशहर	43	430	10.75
4	गाजियाबाद	20	200	5.00
5	गौतमबुद्धनगर	16	160	4.00
6	हापुड	21	210	5.25
7	झाँसी	7	70	1.75
8	जालौन	8	80	2.00
9	ललितपुर	7	70	1.75
10	मुरादाबाद	32	320	8.00
11	अमरोहा	26	260	6.50
12	रामपुर	33	330	8.25
13	विजनौर	34	340	8.50
14	सम्भल	24	240	6.00
15	आगरा	42	420	10.50
16	फिरोजाबाद	26	260	6.50
17	मथुरा	29	290	7.25
18	मैनपुरी	26	260	6.50
19	अलीगढ	33	330	8.25
20	हाथरस	27	270	6.75
21	एटा	26	260	6.50
22	कासगंज	20	200	5.00
23	हमीरपुर	8	80	2.00
24	महोबा	8	80	2.00
25	बॉदा	8	80	2.00
26	चित्रकूट	7	70	1.75
27	इटावा	26	260	6.50
28	औरैया	20	200	5.00
29	फर्रुखाबाद	26	260	6.50
30	कन्नौज	21	210	5.25
31	कानपुर नगर	16	160	4.00
32	कानपुर देहात	20	200	5.00
33	प्रयागराज	26	260	6.50
34	कौशाम्बी	17	170	4.25
35	फतेहपुर	21	210	5.25
36	प्रतापगढ	20	200	5.00
37	मुजफ्फरनगर	41	410	10.25
38	सहारनपुर	49	490	12.25
39	शामली	33	330	8.25
40	बहराइच	20	200	5.00
41	श्रावस्ती	10	100	2.50
42	गोण्डा	20	200	5.00
43	बलरामपुर	10	100	2.50
44	गोरखपुर	26	260	6.50
45	महाराजगंज	17	170	4.25
46	देवरिया	22	220	5.50
47	कुशीनगर	17	170	4.25
48	बस्ती	17	170	4.25
49	सन्तकबीरनगर	12	120	3.00
50	सिद्धार्थनगर	14	140	3.50
51	आजमगढ	25	250	6.25
52	मऊ	17	170	4.25

53	बलिया	16	160	4.00
54	वाराणसी	16	160	4.00
55	चन्दौली	13	130	3.25
56	जौनपुर	25	250	6.25
57	गाजीपुर	25	250	6.25
58	मिर्जापुर	10	100	2.50
59	संतरविदासनगर	10	100	2.50
60	सोनभद्र	8	80	2.00
61	लखनऊ	21	210	5.25
62	उन्नाव	10	100	2.50
63	रायबरेली	20	200	5.00
64	सीतापुर	18	180	4.50
65	हरदोई	18	180	4.50
66	लखीमपुर	23	230	5.75
67	अयोध्या	23	230	5.75
68	अम्बेडकरनगर	20	200	5.00
69	सुल्तानपुर	20	200	5.00
70	बाराबंकी	21	210	5.25
71	अमेठी	16	160	4.00
72	बरेली	32	320	8.00
73	बदायूँ	30	300	7.50
74	शाहजहांपुर	32	320	8.00
75	पीलीभीत	30	300	7.50
	योग	**1632.60**	**16326**	**408.16**

नोट–

सामग्री का नाम	प्रयोग दर प्रति इकाई (0.1 हे0)
प्रमाणित बरसीम चारा बीज	2.5 किग्रा0

26/10/17

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

प्रारुप–1

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना अन्तर्गत **"अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम"** हेतु रबी–2023 में बरसीम चारा उत्पादन मिनीकिट के निःशुल्क वितरण हेतु पशुपालन निदेशालय के पत्र सं0–..... .....दिनांक.....द्वारा जनपद.....को आवंटित धनराशि रू0.....के सापेक्ष रू0.....दिये गये दिशा–निर्देशानुसार उपयोग कर लिया गया है। योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0.....को इस कार्यालय के पत्र सं0.....दिनांक..... .....द्वारा समर्पित कर दिया गया है, तथा धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी है, उसे उसी प्रयोजन में ही व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत जनपद में कुल.....लाभार्थियों को लाभान्वित तथा ....हे0 क्षेत्रफल को आच्छादित किया गया है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.....

प्रारूप–2

राज्य योजना अन्तर्गत "**अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम**" हेतु रबी–2023 में चयनित लाभार्थियों का विवरण

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	लाभार्थी का पता	लाभार्थी की श्रेणी (सामान्य / अ0पि0व0 / अनु0जा0 एवं अनु0जनजा0)	लघु / सीमांत / अन्य कृषक	चयनित क्षेत्रफल हे0 में	चारा बीज किट का नाम एवं मात्रा	वितरण की तिथि	लाभार्थी का मोबाइल नं0	लाभार्थी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

हस्ताक्षर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.....

प्रारूप–3

Impact Assesment (फीड बैक)

क्र0 सं0	योजना का नाम	ग्राम का नाम	वि0ख0 का नाम	योजना प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति		योजना के दौरान सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति		योजना पश्चात् सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति (रबी फसल चक से एक वर्ष पश्चात् अर्थात् रबी–2024 में)		अभ्युक्ति
				कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.....

ई–मेल द्वारा/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

संख्या /चारा/ ।।।एफ(423)/रा0यो0/2023–24, दिनांक:

विषय:– **रबी वर्ष–2023–24 में "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" (रा0यो0) संचालित कराये जाने हेतु दिशा निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनु0 सं0–15 के अधीन राज्य योजनान्तर्गत **"अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम"** (Additional Fodder Development Programme-AFDP) संचालित कराये जाने हेतु धनराशि का आवंटन, पत्र सं0–1621/बजट/29(5)/अनु0–15/40/2023–24 दिनांक 20.10.2023 द्वारा किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग नियमानुसार वर्तमान रबी–2023 में करते हुए चारा फसल हेतु निम्न दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जाए:–

1– योजना के वृहद प्रचार–प्रसार हेतु सूचना प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, साथ ही विज्ञप्ति की प्रतियां जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड, मण्डी परिषद, सहकारी समितियों के सूचना पटों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से चस्पा कराया जाय।

2– योजनान्तर्गत लघु/सीमांत कृषकों/पशुपालकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। न्यूनतम 0.1 हे0 एवं अधिकतम 0.5 हे0 भूमि पर चारा उत्पादन हेतु इच्छुक लाभार्थियो का चयन किया जाय।

3– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों, महिला लाभार्थियों, पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को चयन में वरीयता दी जाय।

4– **लाभार्थियों के चयन का मापदण्ड–**
(क) लाभार्थी कम से कम 02 दुधारू पशु पालता हों तथा चारा उत्पादन हेतु इच्छुक हो।
(ख) लाभार्थी के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो अथवा चारा फसल की सिंचाई आसानी से की जा सके।
(ग) लाभार्थी के पास स्वयं की जोत हो, जिसका सत्यापन खसरा/खतौनी से कर लिया जाय।
(घ) पूर्व में लाभान्वित किये गये लाभार्थियों को पुनः लाभान्वित नही किया जायेगा।

5– **लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा–**

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	–	अध्यक्ष
सम्बन्धित उपमुख्यपशुचिकित्साधिकारी	–	सदस्य/सचिव
सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी	–	सदस्य
जिला कृषि अधिकारी/नामित सदस्य	–	सदस्य
प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक पी.सी.डी.एफ. अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	–	सदस्य

6– लाभार्थियों का चयन करते समय यह प्रयास किया जाये कि जिस प्लाट में चारा फसल बोयी जानी है, वह सडक/चकरोड के आस–पास हो अर्थात् जहॉ पर वह सरलता से प्रदर्शित हो तथा अधिक से अधिक कृषक/पशुपालक अवलोकन कर सके।

7– जनपदवार चारा उत्पादन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल, बीज की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट–1** में दर्शायी गयी है।

8– **परिशिष्ट–1** में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर के आधार पर दर्शायी गई है। अतः यदि जनपद में ऐसे भी लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जो 0.1 हे0 से 0.5 हे0 तक चारा उत्पादन करने में सक्षम हो तो जनपद में लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट–1** में दर्शाये गये लाभार्थियों की संख्या से कम हो जायेगी, लेकिन जनपद में चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में कोई कमी नही होगी अर्थात् जनपद में चारा उत्पादन हेतु **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया क्षेत्रफल यथावत् रहेगा।

9– **43–सामग्री एवं सम्पूर्ति** मद में आवंटित धनराशि का उपयोग चारा बीज क्रय पर किया जायेगा। प्रमाणित **बरसीम चारा बीज (बी0एल0–10/बी0एल–42)** का क्रय, राष्ट्रीय बीज निगम लि0 (एन0एस0सी0एल0) ,लखनऊ**(ईमेल–*rm.lucknow@indiaseeds.com/nsclucknowmarketing@gmail.com*(मो0नं0–9375288284)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी दर (रू0 24500.00 प्रति कु0 एफ0ओ0आर0 समस्त जनपद मुख्यालय) से नियमानुसार

कर पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति लाभार्थी को 0.1 हे0 क्षेत्रफल में **बुवाई हेतु 2.5 कि0ग्रा0 प्रमाणित बरसीम चारा बीज** उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार 0.1 हे0 से अधिक 0.5 हे0 क्षेत्रफल तक बुवाई हेतु उक्त इकाई मानक के गुणक में चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा। चारा उत्पादन हेतु बीज के अतिरिक्त खेत की तैयारी, बुवाई, सिंचाई एवं कटाई आदि पर होने वाला व्यय लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा।

10– योजनान्तर्गत प्रदर्शन स्थल पर साधारण कार्ड–बोर्ड पर लाभार्थी का पूर्ण विवरण अंकित कर लाभार्थी के साथ चारा फसल में प्रदर्शित करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जाय। फोटोग्राफी कराने के बाद उसकी एक प्रति पशुपालन निदेशालय के चारा अनुभाग को उपलब्ध करायी जाए।

11– सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी/उपमुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित चारा बीज मिनीकिटों का पूर्ण लेखा–जोखा (रिकार्ड) संलग्न **प्रारूप–1** पर अपने कार्यालय पर रखा जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

12– योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों का होगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अपने अधीनस्थ उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी तथा कार्यरत चारा निरीक्षकों के सक्रिय सहयोग से सम्पादित कराया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में आवश्यकता पड़ने पर जिला कृषि अधिकारी/सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त करेगें।

13– उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा समय–2 पर लाभार्थियों द्वारा बोयी गयी चारा फसलों का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी भी स्तर पर योजना के कियान्वयन में शिथिलता पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का होगा।

14– योजना के कार्यो की पूर्णता पर **प्रारूप–1**, **प्रारूप–2** एवं **प्रारूप–3** पर **लाभार्थियों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र** एवं योजना का **Impact assessment (फीड बैक)** चारा अनुभाग, पशुपालन निदेशालय को हार्ड एवं साफ्ट कापी में ई–मेल **fdoup522@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/अपर निदेशक, ग्रेड–2 का होगा।

15– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग **वर्तमान रबी फसल–2023** में ही किया जाना है। योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/अपर निदेशक, ग्रेड–2 का होगा। अवशेष धनराशि के समर्पण की सूचना दिनांक **30.11.2023** तक प्रत्येक दशा में ईमेल **fdoup522@gmail.com** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16– योजना को निर्बाध गति एवं सफल संचालन हेतु निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा।

17– योजनान्तर्गत कृषि निवेशों का वितरण एवं फील्ड डे, यथासम्भव स्थानीय जन–प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान/ब्लाक प्रमुख/मा0 विधायक एवं सांसद आदि) की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ करायी जाय, जिसकी फोटोग्राफी भी अनिवार्य रूप से करायी जाये।

18– **विस्तृत कार्य योजना** एवं **गाईड–लाइन** विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 अरूण कुमार जादौन)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्याः 101 /चारा/ 11एफ(423)/रा0यो0/2023–24, दिनांकः 26/10/2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, पशुधन, उ0प्र0शासन।
2– वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
3– समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश।
4– विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

26/10/23

(डा0 अरूण कुमार जादौन)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।